# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौथ का बरवाड़ा

मु0न0:—8/2012 तारीख रजू:—08.02.2012

जी0सी0एम0एस0 नंबर:—2012/00019

*पीठासीन अधिकारी :—जोगेन्द्र सिंह (आर.ए.एस.)*

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते चौथ का बरवाड़ा

1. चिरंजीलाल पुत्र हरनारायण
2. तुलसीराम पुत्र हरनारायण
3. रामकेश पुत्र हरनारायण
4. छोटूलाल पुत्र हरनारायण
   समस्त जातियान मीना निवासीयान सारसोप तहसील चौथ का बरवाड़ा।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।

—अप्रार्थी

उपस्थितः—

वकील प्रार्थीगणः— श्री अब्दुल वहाब, एडवोकेट

वकील अप्रार्थी 1:— पैरोकार सरकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट

निर्णय दिनांकः—10.11.2025

1. प्रार्थना पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि—

❖ प्रार्थीगण ग्राम सारसोप तहसील चौथ का बरवाडा के रहने वाले काश्तकार पेशा व्यक्ति है।

❖ ग्राम सारसोप की साबिक आराजी ख.न. 616 का रकबा जमाबन्दी सम्वत 2041 से 2044 के आबादी मे दर्ज था और अभी हाल मे हुऐ सेटलमेन्ट के दौरान साबिक खसरा नंबर 616 के नये खसरा नंबर 2813 [illegible] है0, खसरा नंबर 1510 रकबा 0.04 है, 1512 रकबा [illegible] खसरा नंबर [illegible] रकबा 0.41 है0, खसरा नंबर 2811 रकबा 0.04 है0 बनाये जाकर [illegible] नंबर 2813 रकबा 0.20 है0 को सिवायचक दर्ज कर जमाबंदी संवत् 2[illegible] से 2068 जारी की गई है।

❖ प्रार्थीगण के साबिक आराजी खसरा नंबर 616 में मकान बने हुए हैं तथा गांव की आबादी बसी हुई है तथा परन्तु अभी हाल में हुए सेटलमेंट के दौरान गलत

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2025.11.11 16:27:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स0 मा0)

एवं निराधार तरीके से आबादी भूमि को सिवायचक दर्ज कर प्रार्थीगण के वर्तमान खसरा नंबर 2813 रकबा 0.20 है0 का अतिक्रमी मानकर धारा 91 एल0आर0 एक्ट का एक नोटिस क्रमांक 951/2011 जारी किया गया है, जो तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा के यहां विचाराधीन है, जिसमें आगामी पेशी 20.01.2012 नियत है।

- प्रार्थीगण को सेटलमेंट विभाग द्वारा की गई इस गलती की जानकारी प्राथीगण को धारा धारा 91 एल0आर0 एक्ट का नोटिस प्राप्त होने पर हुई कि प्रार्थीगण की आबादी में बने हुए मकान को सिवायचक दर्ज कर दिये हैं।

- अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि साबिक आराजी खसरा नंबर 616, जिसके वर्तमान में खसरा नंबर 2913, 1510, 1512, 1810, 2811 वाके ग्राम सारसोप, तहसील चौथ का बरवाड़ा को राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त फरमाया जाकर आबादी भूमि अंकित फरमाये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस बनाम अप्रार्थी जारी होकर उनकी न्यायालय में तलवी की गई।

3. यह है कि तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा ने प्रकरण में अपने पत्रांक भू0अ0/2025/943 दिनांक 21.05.2025 द्वारा अपनी रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाई है कि–

- साबिक 2036–39 एवं 2041–44 वाके ग्राम सारसोप के खाता संख्या 01 में साबिक खसरा नम्बर 616, 840 एंव 814 रकबा 119 बीघा 17 बिस्वा किस्म गै0मु0 आबादी थी। साबिक खसरा नम्बर 616, के हाल खसरा नम्बर 2810 रकबा 0.41 किस्म गै0मु0आबादी 2811 रकबा 0.04 किस्म गै0मु0 आबादी 1510 रकबा 0.04 किस्म गै0मु0बाडा,1512 रकबा 0.14 है0 किस्म गै0मु0बाडा एवं खसरा नम्बर 2813 रकबा 0.20 है0 किस्म गै0मु0 रास्ता है। खसरा नम्बर 2810, 2811, 2813, 1510 एवं 1512 जमाबन्दी संवत 2057 आधार वर्ष में खाता संख्या 01 में सिवायचक दर्ज है।

- यह है कि श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय सवाई माधोपुर के आदेश क्रमांक प.12(6)(1)(4)आबादी/राजस्व/17/2428 दिनांक 04.05.2017 के द्वारा मण्डल सारसोप के जिम्मन नम्बर 01 मे स्थित गै0मु0आबादी जिस पर वर्षो से आबादी बसी हुई है ,को ग्राम पंचायत मण्डल सारसोप के नाम नामान्तिकरण संख्या 1708 निर्णय दिंनाक 29.05.2017 द्वारा राजस्व रिकार्ड में अमल हुआ ।

- यह है कि खसरा नम्बर 2813 रकबा 0.20 है0 किस्म गै0मु0रास्ता पर अतिकतण किये जाने पर अतिकमी चिरंजीलाल ,तुलसीराम ,रामकेश, पि0

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते चौथ का बरवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Si
Date: 2025.11.11 16:47:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स0 मा0)

हरनारायण ,छोटू पुत्र रंगा के विरूद्ध 364.50 वर्गमीटर की धारा 91 की रिर्पोट पटवार हलका द्वारा की गई ।

- यह है कि वर्तमान मौका स्थिति अनुसार खसरा नम्बर 2810, 2811, 1510, 1512 मे आबादी बसी हुई है एंव पक्के मकान बने हुए है। खसरा नम्बर 2813 रकबा 0.20 है0 किस्म गै0मु0रास्ता में से लगभग 0.05 है0 पर रास्ता है शेष भूमि पर मकान व बाडे बने हुये है। गत नक्शा (सेटलमेन्ट पूर्व का) के खसरा नम्बर 616, 840, 841 की जगह वर्तमान नक्शे में खसरा नम्बर 2813, 1510 ,1510, 1512, 2810, 2811 बनाये गये है।

- चूंकि खसरा नम्बर 616, 840, 841 किस्म गै0मुआबादी से नये खसरा नम्बर 2813 किस्म गै0मु0 रास्ता 1510 (गै0मु0 बाडा) 1512 (गै0मु0 बाडा) 2810 (गै0मु0आबादी) बने है तथा उक्त किस्म बंदोबस्त के बाद परिवर्तित कर दी गई। वर्तमान में खसरा नम्बर 2813 में लगभग 0.04 है0 भूमि में पक्का आवासीय मकान बना हुआ है। एवं उक्त मकान बन्दोबस्त के बाद बना है। इस कारण सवंत 2068 में मकान धारी को अतिक्रमी मानते हुए धारा 91 कि रिपोर्ट की जा चुकी है। चूंकि विवादित स्थल खसरा नम्बर 2813 किस्म गै0म0 रास्ता में स्थित होने आबादी प्रस्ताव नियमानुसर बनाया जाना संभव नहीं है।

4. बहस प्रार्थीगण सुनी गई। प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का दोहरान किया। मैंने प्राथीगण के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

5. वकील प्रार्थीगण का कथन है कि ग्राम सारसोप की साबिक आराजी ख.न. 616 का रकबा जमाबन्दी सम्वत 2041 से 2044 के आबादी मे दर्ज था और अभी हाल मे हुऐ सेटलमेन्ट के दौरान साबिक खसरा नंबर 616 के नये खसरा नंबर 2813 रकबा 0.20 है0, खसरा नंबर 1510 रकबा 0.04 है, 1512 रकबा 0.14 है0, खसरा नंबर 2810 रकबा 0.41 है0, खसरा नंबर 2811 रकबा 0.04 है0 बनाये जाकर खसरा नंबर 2813 रकबा 0. 20 है0 को सिवायचक दर्ज कर जमाबंदी संवत 2065 से 2068 जारी की गई है। प्रार्थीगण के साबिक आराजी खसरा नंबर 616 में मकान बने हुए [illegible] की आबादी बसी हुई है तथा परन्तु अभी हाल में हुए सेटलमेंट के दौरान [illegible] एवं निराधार तरीके से आबादी भूमि को सिवायचक दर्ज कर प्रार्थीगण के [illegible] खसरा नंबर 2813 रकबा 0.20 है0 का अतिक्रमी मानकर धारा 91 एल0आर0 [illegible] का एक नोटिस कमांक 951/2011 जारी किया गया है, जो तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा के यहां विचाराधीन है, जिसमें आगामी पेशी 20.01.2012 नियत है। प्रार्थीगण को सेटलमेंट विभाग द्वारा की गई इस गलती की जानकारी प्राथीगण को धारा धारा 91 एल0आर0



उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स0 मा0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Sing
Date: 2025.11.11 16:27:57 IST
Reason: SelfAttested

एक्ट का नोटिस प्राप्त होने पर हुई कि प्रार्थीगण की आबादी में बने हुए मकान को सिवायचक दर्ज कर दिये हैं। अतः साबिक आराजी खसरा नंबर 616, जिसके वर्तमान में खसरा नंबर 2913, 1510, 1512, 1810, 2811 वाके ग्राम सारसोप, तहसील चौथ का बरवाड़ा को राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाना जरूरी है।

6. मैंने वकील प्रार्थीगण की का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थीगण द्वारा भू–प्रबंध विभाग द्वारा उनके खातेदारी नंबरान को सिचायचक दर्ज होना बताया है, परन्तु उसके वर्तमान रिकॉर्ड को लिपिकीय त्रुटी अथवा सेटलमेंट विभाग द्वारा की गई ऐसी त्रुटि नहीं माना जा सकता, जिसे धारा 136 एल0 आर0 एक्ट के तहत परिवर्तित किया जा सके। धारा 136 एल0 आर0 एक्ट के तहत उक्त नियमन/नामान्तरकरण को लिपिकीय त्रुटी अथवा हितबद्ध पक्षों द्वारा स्वीकृत त्रुटि मानते हुए निरस्त किया जाना उचित नहीं है। साथ ही तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा ने भी अपनी रिपोर्ट में विवादित स्थल खसरा नम्बर 2813 किस्म गै0म0 रास्ता में स्थित होने आबादी प्रस्ताव नियमानुसर बनाया जाने में असमर्थता जाहिर की है।

7. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित नहीं है।

**–:आदेश:–**

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 10.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा सत्यमेव जयते

(जोगेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (सवाई माधोपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Jogendra S
Date: 2025.11.11 16:27:57 IST
Reason: SelfAttested